संख्या– ––– /XXXVI(1)/2014–23 एक(5)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 12 मार्च, 2014

विषय– जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–74/XXXVI(1)/2013–23–एक(5)/2005 टी0सी0 दिनांक 05.03.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 28.02.2015 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालयों/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या 24–एक(5) छत्तीस(1)/2005–23–एक(5)/2005 दिनांक 09.11.2005 द्वारा किया गया है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–10–स्थायी लोक अदालत–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 68 (1)/XXXVI(1)/2014–23 एक(5)/2005 दी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
5– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव